

आखिरी जांच: 24 सितंबर 2026

Financial assistance for mini-tractor to self-help groups (SC and Neo-Buddhist)

अनुसूचित जाति और नवबौद्ध स्वयं सहायता समूहों के लिए मिनी ट्रैक्टर खरीदने पर अनुदान।

क्या मिल सकता है

सहायक उपकरणों सहित मिनी ट्रैक्टर की सीमा 3.50 लाख रुपये। समूह 10% देता है, सरकारी अनुदान 90% (अधिकतम 3.15 लाख रुपये)।

किसके लिए है

महाराष्ट्र के स्वयं सहायता समूह, जिनके कम से कम 80% सदस्य SC या नवबौद्ध हों।

मुख्य शर्तें

- महाराष्ट्र का स्वयं सहायता समूह।
- कम से कम 80% सदस्य SC या नवबौद्ध।
- समूह सीमा का 10% देता है।

आवेदन कैसे करें

- अपने जिले के सहायक आयुक्त, समाज कल्याण के पास आवेदन करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: <https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/scheme/financial-assistance-for-mini-tractor-to-self-help-groups/>

LABHLO पेज: <https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mh-sc-shg-mini-tractor/>



LABHLO सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।

LABHLO एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंजूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।